



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## दो अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, कुल 16 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र

### बरामद

दिनांक 07.04.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अवैध असलहों की रोकथाम के लिये सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना खैराबाद पुलिस टीम व थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए भिन्न भिन्न स्थानों से कुल 02 अभियुक्तगण को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से मौके से 16 अर्द्ध निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 कारतूस एवम् अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। उक्त दोनो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी के संबंध में क्रमशः थाना खैराबाद पर मु0अ0सं0 160/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट व थाना सकरन पर मु0अ0सं0 149/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियुक्तगण अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ के लिये आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण एवम् विक्रय की तैयारियां कर रहे थे एवम् जनपद सीतापुर के अतिरिक्त जनपद बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ में भी अवैध शस्त्र बेचने का कार्य करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की बरामदगी से जनपद में अवैध असलहे के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। विवरण निम्न है-

### ➤ कार्यवाही थाना खैराबाद-----

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ. राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त रामाश्रय उर्फ शेराम पुत्र स्व0 मदारी नि0 ग्राम रमुवापुर मजरा भदियासी थाना खैराबाद सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ग्राम डीहपुरवा के निकट भीठ भट्टा के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से कुल 07 निर्मित अवैध शस्त्र, 03 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए

है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना खैराबाद पर मु0अ0सं0 160/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 160/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट, थाना खैराबाद सीतापुर

**अभियुक्त का नाम व पता-**

1. रामाश्रय उर्फ शेरा पुत्र स्व0 मदारी नि0 ग्राम रमुवापुर मजरा भदियासी थाना खैराबाद सीतापुर

**बरामदगी विवरण-** कुल 07 निर्मित अवैध शस्त्र, 03 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, 02 कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री सियाराम चौरसिया
2. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह
3. हे0का0 इस्लाम अली

**आपराधिक इतिहास-**

**अभियुक्त रामाश्रय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 1216/09 धारा 379/411 भादवि थाना खैराबाद
2. मु0अ0सं0 1284/09 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना खैराबाद
3. मु0अ0सं0 158/10 धारा 2/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना खैराबाद
4. मु0अ0सं0 निल/21 धारा 110 सी.आर.पी.सी. थाना खैराबाद
5. मु0अ0सं0 160/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट, थाना खैराबाद सीतापुर



## ➤ कार्यवाही थाना सकरण----

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डा0 राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में एवम् क्षेत्राधिकारी बिसवां के कुशल नेतृत्व में थाना सकरण पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त राजकुमार पुत्र मनोहरलाल निवासी सोनावां थाना रेउसा जनपद सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए हुए ग्राम छोटी अदवरी के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से **कुल 02 निर्मित अवैध शस्त्र, 04 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, व शस्त्र बनाने के उपकरण** बरामद हुए हैं। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के संबंध में थाना सकरण पर मु0अ0सं0 149/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 149/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना सकरण सीतापुर

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

1. राजकुमार पुत्र मनोहरलाल निवासी सोनावा थाना रेउसा जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण- कुल 02 निर्मित अवैध शस्त्र, 04 अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र, व शस्त्र बनाने के उपकरण

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री पुष्पराज कुशवाहा ।
2. उ0नि0 श्री अवनीश कुमार
3. उ0 नि0 श्री सैय्यद हुसैन
4. का0 रानू प्रताप चौधरी
5. कां0 अर्जुन सिंह
6. का0 मुकेश यादव

### अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 180/93 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रेउसा
2. मु0अ0सं0 146/96 धारा 323/325/504 भादवि थाना रेउसा
3. मु0अ0सं0 174/97 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा
4. मु0अ0सं0 175/97 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा
5. मु0अ0सं0 162/04 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रेउसा
6. मु0अ0सं0 163/04 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा
7. मु0अ0सं0 175/04 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना रेउसा
8. मु0अ0सं0 60/2000 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रेउसा
9. मु0अ0सं0 149/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना सकरण



व